सीसीटीएनएस/अतिआवश्यक

मुख्यालय उत्तर प्रदेश पुलिस तकनीकी सेवायें

महानगर, लखनऊ–226006

पत्रांकःटीएस–सीसीटीएनएस–82/2012 दिनांकःजनवरी 17, 2019

सेवा में,

1. अपर पुलिस महानिदेशक, समस्त जोन, उत्तर प्रदेश।
2. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस उपमहानिरीक्षक, समस्त परिक्षेत्र उ0प्र0।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक समस्त जनपद उ0प्र0।
4. समस्त जोन कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
5. समस्त परिक्षेत्र कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।
6. समस्त जनपद कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश।

विषयः– जनहित गारंटी अधिनियम–2011 में आच्छादित ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट गृह विभाग सेवाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने तथा उनका निस्तारण के साथ–साथ प्रचार–प्रसार विषयक।

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 375/6–पु–15/2018–3(15)18 दिनांक 03–01–2019 का अवलोकन करें जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि जनहित गारंटी अधिनियम–2011 में आच्छादित गृह विभाग की 10 सेवाओं को एंड–टू–एंड ऑनलाइन प्लेटफार्म पर लाकर ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर इस संबंध में सम्बन्धित अधिकारियों को कार्यवाही कराने हेतु निर्देश दिये गये थे, साथ ही साथ ऑनलाइन सेवाओं को अपने जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञानित कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी। शासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि ऑनलाइन पोर्टल पर बहुत ही कम आवेदन पत्र हो रहे हैं, इसमें संमीक्षा लगातार उच्च स्तर पर भी की जा रही है। उपयुक्त शासनादेश की प्रति सुलभ सन्दर्भ हेतु संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

2. उपरोक्त सम्बन्ध में सभी सम्बन्धित अधिकारियों को जनहित गारंटी अधिनियम–2011 में आच्छादित ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट गृह विभाग सेवाओं से सम्बन्धित आवेदन पत्र ऑनलाइन प्राप्त करने तथा उनका निस्तारण के साथ–साथ प्रचार–प्रसार हेतु निर्देशित करने कष्ट करें साथ ही समस्त जोन/परिक्षेत्र/कोऑर्डिनेटर कम्प्यूटर आपरेटर (ग्रेड–ए) उत्तर प्रदेश

को इस निर्देश के साथ कि जनपद के समस्त थानों के कम्प्यूटर आपरेटर एवं सीसीटीएनएस भिज्ञ पुलिस कार्मियों को अवगत करायें।

3. मासिक गोष्ठियों एवं अपराध गोष्ठी अथवा समीक्षा बैठक में अधिकारियों/कर्मचारियों को उपरोक्त के दृष्टिगत जागरूक करें, साथ ही इसका पर्यवेक्षण व अनुश्रवण भी नियमित रूप से करते रहें। इस महत्वपूर्ण बिन्दु को आप गंभीरता से लें। उक्त कार्य में शिथिलता न आने पाये इस हेतु जोन/ परिक्षेत्र/ जनपद के पुलिस प्रमुख प्रभारी इस कार्यवाही व प्रकिया का नियमित पर्यवेक्षण करते रहेंगे।

संलग्नक–यथोपरि।

17/1

(आशुतोष पाण्डेय)
अपर पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 पुलिस तकनीकी सेवायें मुख्यालय, लखनऊ

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेतर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश, शासन, लखनऊ को उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 375/6–पु–15/ 2018–3(15)18 दिनांक 03–01–2019 गृह (पुलिस) अनुभाग–15 के कम में सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ को सादर सूचनार्थ।
3. अपर पुलिस महानिदेशक, अपराध मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ।
4. विशेष सचिव, गृह (पुलिस) अनुभाग–15 उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को पत्र संख्या 375/6–पु–15/ 2018–3(15)18 दिनांकः03–01–2019 के कम में।
5. पुलिस महानिरीक्षक/पुलिस महानिदेशक के जनरल स्टाफ आफीसर, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), उ0प्र0 लखनऊ
7. श्री कृष्ण मुरारी, प्रोग्रामर–ग्रेड–2 उ0प्र0 पुलिस कम्प्यूटर केन्द्र, लखनऊ।

143

913

फैक्स/ महत्वपूर्ण

संख्या-CM 75/6-पु0-15/2018 - 3(15)/18

प्रेषक,

अरविन्द कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1 समस्त जिलाधिकारी
उत्तर प्रदेश ।

2- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश ।

गृह(पुलिस) अनुभाग-15 लखनऊ दिनांक 03 ~~दिसम्बर~~ जनवरी 2019

विषय- जनहित गारंटी अधिनियम-2011 के अन्तर्गत गृह विभाग में दी जा रही सेवाओं को आनलाइन किये जाने तथा ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से जोड़कर कार्यवाही किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या- 861/6-पु0-15/2018 दिनांक 10-8-2018 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनहित गारंटी अधिनियम-2011 में आच्छादित गृह विभाग की 10 सेवाओं को एंड-टू-एंड आनलाइन प्लेट फार्म पर लाकर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट कर इस संबंध में सम्बंधित अधिकारियों को कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित किये जाने के निर्देश दिये गये थे। साथ ही साथ उक्त ऑनलाइन सेवाओं के संबंध में अपने जनपद के जनप्रतिनिधियों को भी संज्ञानित कराये जाने की अपेक्षा की गयी थी।शासन के संज्ञान में यह आ रहा है कि आनलाइन पोर्टल पर बहुत ही कम आवेदन पत्र प्राप्त तथा निस्तारित हो रहे है। इसमें समीक्षा लगातार उच्च स्तर पर भी की जा रही है।

ADG(T/S)

2- अतः इस सबंध मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उक्त के संबंध मे अपने स्तर से सभी सम्बंधित अधिकारियों को जनहित गारंटी अधिनियम-2011 में आच्छादित ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल से इन्टीग्रेट गृह विभाग सेवाओं से संबंधित आवेदन पत्र आनलाइन प्राप्त करने तथा उनका निस्तारण के संबंध में कार्यवाही कराने हेतु निर्देशित करें। साथ-ही-साथ इसके प्रचार-प्रसार हेतु भी संबंधित अधिकारियों निर्देशित करने का कष्ट करें।

4/1/19

SP/AD

भवदीय

(अरविन्द कुमार)
प्रमुख सचिव।

संख्या-CM75 /6-पु0-15/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ।
3. राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी (एनआईसी), उ0प्र0, लखनऊ।

अपर पुलिस महानिदेशक
तकनीकी सेवायें, उत्तर प्रदेश.

5/1/19

CO, CCTNS

आज्ञा से

(श्यामं लाल यादव)
विशेष सचिव।

SPAD
7/1/19

COTS
7/1/19

SP CM?

प्रस्तुत करें।

19-1-19

82